न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00066 (66/2019) 223 आरटीएक्ट

1. बधो देवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर। –अपीलाण्ट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. मेसर पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर । –रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर प्र. सं. 19/2018 बअनवानी बाधो बनाम रामचन्द्र आदि

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:– 16.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष एक अर्जीदावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अर्जीदावा में प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं जमाबंदी दुरूस्त कर वादीगण के नाम 1/3 व प्रतिवादीगण के नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.01.2019 को वाद वादी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रकरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दिनांक 17.01.2019 फर्जी तौर पर लिखी गई है। पत्रावली बहस पर नही थी संशोधित दावा हेतु मुकर्रर थी जिसमें आईन्दा पेशी 14.03.2019 नियत थी। कवर पर एवं तारीख पेशी रजिस्टर में भी दर्ज है। अपीलाधीन निर्णय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए 23.03.2019 व 24.03.2019 को नोहर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

स्थानान्तरण होने के बाद अवकाश के दिन लिखा गया है क्योकि दिनांक 14.03.2019 को पत्रावली पेशी पर नहीं आयी तो अपीलाण्ट के वकील उपखण्ड अधिकारी से मिले और सम्बन्धी रीडर व पेशकार को बुलाकर निर्देश दिये कि पत्रावली तलाश की जावे किन्तु पत्रावली नहीं मिली। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ जाकर शिकायत की जिस पर दिनांक 23–24 मार्च को शनिवार–रविवार का अवकाश था तथा मकराना में तैनात उपखण्डाधिकारी सैयद सिराज अली जैदी नोहर में आकर बतौर नोहर के उपखण्डाधिकारी बनकर दावा के निर्णय व डिक्री पर हस्ताक्षर किये। दिनांक 25.03.2019 को अपीलाण्ट के वकील को पता चला कि बनवारी प्रतिवादी अदालत में आया हुआ है और बाधो बनाम रामचन्द्र के निर्णय की नकल की दरख्वास्त पेश की है इस पर अपीलाण्ट के वकील ने पता किया तो निर्णय हो चुका था। स्थानान्तरण के बाद 5 फैसले लिखे गये जो दस्तावेजों से साबित है। किसका कितना हक बनता है यह दावा में संशोधित वाद पेश होने व तनकीयात कायम होकर साक्ष्य के बाद ही तय हो सकता है। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट की भूमि को हड़पना चाहता है। पक्षकारान के मध्य हिस्से का विवाद है। अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा लेकर आया है। प्रतिवादी ने दावा को स्वीकार करते हुए 1/4 हिस्सा अंकित किया जिसके अनुसार निर्णय किया गया है जबकि संशोधित दावा बाद तनकी बनकर साक्ष्य के माध्यम से तय होना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया पत्रावली का निस्तारण दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह तथ्य अंकित है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। मात्र अधिवक्ता के कहने से यह नहीं माना जा सकता कि वह उपस्थित नहीं था एवं उन्होंने बहस नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 ने अपनी बहस में कथन किया मेसर जो रामचन्द्र की पुत्री है ने कोई हकत्याग नहीं किया है। अपीलाण्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। मेसर का 1/4 हिस्सा है विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने घोषणा एवं स्थाई निषेधांज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो मुताबिक वाद एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पत्रावली संशोधित वादपत्र हेतु चल रही थी। प्रकरण में दिनांक 17.01.2019 को वाद साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर डिक्री किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से संशोधित वादपत्र का प्रस्तुत होना प्रकट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि संशोधित वादपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ और सीधे ही बहस सुनी गई है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियां का पालन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.01.2019 निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.01.2019 प्रकरण सं. 19/2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि संशोधित वादपत्र प्रस्तुत होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उभयपक्षो को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर सें कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official